>

Title: Need to enforce stringent safety measures in factories and check the pollution by industrial units.

श्री बागुन सुम्बरूई (सिंहभूम) : महोदय, औद्योगिक इकाइयों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाया जाना चाहिए। झारखण्ड के सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल स्थित आधुनिक एलॉय एंड पॉवर लि0 - कान्ड्रा में 28 फरवरी, 2008 को पांच कामगार झुलस गए, दो की मौत इलाज के दौरान हो गई। 6 मार्च, 2008 को एसीसी झीकंपानी स्थित प्लांट में दो कामगार झुलस गए, जिनमें एक की मौत 10 मार्च को हो गई। कामगारों के आश्रितों को पर्याप्त मुआवजा एवं स्थायी नौकरी दिया जाना चाहिए।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण एवं भूजल के अनवरत दोहन पर रोक लगाया जाना चाहिए। कोल्हान प्रमण्डल (झारखण्ड) अंतर्गत अवस्थित औद्योगिक इकाइयों तथा नोवामुण्डी, बड़ाजामदा (झारखण्ड) एवं बड़बिल, जोड़ा (उड़ीसा) क्षेत्र स्थित आयरन और क्रशरों द्वारा अंधाधुंध फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उपरोक्त क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसियां निष्क्रिय हैं, इन्हें तत्काल सक्रिया किया जाना चाहिए।

---

* Treated as laid on the Table.